आस्था और आहार बीच डोलता लोलक

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा पशुओं की तस्करी, वध के लिए अवैध खरीद-बिक्री और उन्हें क्रूरता से बचाने के निमित्त पशु क्रूरता निवारण/पशुधन बाजार विनियमन अधिनियम 2017 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों को लेकर गरमागरम बहस और प्रदर्शन की धार देश भिन्न-भिन्न हिस्सों में भड़के किसान आंदोलन के कारण मंद तो हुई, लेकिन चर्चा-प्रदर्शन के केंद्र में पहले की ही भाँति गाय और उसके मांस ने सबका सर्वाधिक ध्यान खींचा। यह अधिसूचना गायों को ही लेकर नहीं जारी हुई है। निस्संदेह, इसके दायरे में आने से गायें भी वंचित नहीं होंगी। पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में गोवध पर कानूनी प्रतिबंध है, लेकिन चोरी-छुपे जगह-जगह गोवध बदस्तूर चलते रहने के कारण हंगामा होता रहता है, क्योंकि गाय और उसका मांस सांप्रदायिक संवेदना को स्वीकारात्मक और निषेधात्मक दोनों रूपों में गहरे में उद्दीप्त करता है। यही कारण है कि केरल में युवा कांग्रेसियों ने विरोधस्वरूप सरेराह बछड़े को काटा। केरल व पूर्वोत्तर में कुछएक स्थानों पर उग्र प्रदर्शन के दौरान गाय के मांस को प्रसाद रूप में वितरित किया गया। केरल के ज्यादातर विधायकों ने गोमांस चखकर विधानसभा के विशेष सत्र का प्रयोजन सिद्ध किया। तमिलनाडु में भी विरोध की आवाज उठी। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आगमन से ठीक पहले मिजोरम में लोगों ने बीफ खाकर विरोध जताया। मेघालय के बाचू मराक, बर्नाड मराक जैसे स्थानीय नेताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया।

नेपाल के गढ़ीमाई त्योहार के लिए भारत से हजारों-हजार की संख्या में हर साल हो रही पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए दायर याचिका 'गौरी मौलेखी बनाम भारत सरकार' का निबटारा करते हुए 12 जुलाई, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अधीन तीन महीने के अंदर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में लगभग दस महीने बाद अधिसूचना जारी हुई है। जाहिर है कि गढ़ीमाई त्योहार में एक-दो दिनों के भीतर ही लाखों जानवरों को बर्बरतापूर्वक काटकर बलि दी जाती है। इनमें आधे से अधिक की आपूर्ति बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्यों से अवैध तरीकों से की जाती है। अधिसूचना का मकसद पशुओं के प्रति क्रूर परंपराओं पर लगाम लगाना है। पशु मेले में खरीद-बिक्री करने वालों के लिए संबंधित बाजार समिति, पशुपालन विभाग, पशु चिकित्सा पदाधिकारी के समक्ष अपनी पहचान का प्रमाण देना अनिवार्य बना दिया गया है। खरीदे-बेचे गए मवेशी बैल, भैंस, गाय, ऊँट, बछिया आदि की हत्या नहीं होगी - यह स्पष्ट करना होगा।

नई सरकारी अधिसूचना में कृषि-कार्य, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और प्राणिमात्र पर आसन्न संकटों को कम करने का उपाय है, तो फिर विरोधियों द्वारा इसे संघीय ढाँचे पर प्रहार, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला, आयात-निर्यात को हतोत्साहित करने वाला, कृषि व पशुपालन क्षेत्र की आय कम करने वाला, चमड़ा उद्योग को चौपट करने वाला, रोजगार, व्यवसाय बाजार को नष्ट करने वाला तथा अनुपयोगी जानवरों के 'सदुपयोग' हेतु बिक्री पर असर डालने वाला क्यों बताया जा रहा है? गोधन-पशुधन को चाहे अब सर्वोत्तम धन न भी माना जाए, पर यह आज भी महत्त्वपूर्ण तो है। इससे दूध, दही, घी, गोबर, खाद, परिवहन, मनोरंजन तथा शानशौकत की जरूरतें पूरी होती हैं। भारत की कृषि-आय में पशुपालन का अंशदान लगभग पच्चीस प्रतिशत है

और सकल घरेलू उत्पाद आय में पशुपालन का योगदान चार प्रतिशत है, बेशक इसमें बड़ा हिस्सा मांस कारोबार, चमड़ा उद्योग, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि का भी है। मांसाहार का घरेलू कारोबार तथा निर्यात दिनोंदिन बढ़ने की खुशी का डंका बजाया जा रहा है। निर्यातित मांस में पंचानवें प्रतिशत भैंस-भैंसा का मांस होता है। क्या जरूरत है भारत जैसे अध्यात्मप्रधान देश को ऐसे दैत्यपूर्ण व्यापार से कमाने की? इसमें कारोबारी व बिचौलिए आदि तो पूरा फायदा उठाते हैं, जबकि गरीब-से-गरीब किसान अपने माल-मवेशियों को कसाई के हाथों बेचना महापाप समझता है। लेकिन किसानी हित के नाम पर किसानों को इसी ओर उत्प्रेरित करने का सघन अभियान चल रहा है। क्रूरतापूर्ण हिंसा के बिना मांस की व्यवस्था संभव नहीं, कुछ क्रूर हुए बिना तो इसका आस्वाद लेना भी मुश्किल है। इतना सब होने पर इसे खानेवालों पर भी क्रूरता का नशा चढ़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार मांसाहार क्रूर-हिंसक समाज-निर्माण में सहायक बनता है। इसी वजह से 'मनुस्मृति' में मद्य, मांस को दैत्यों-पिशाचों का भक्ष्य पदार्थ बताया गया है। मांस के प्रबंध की अनुमति देने वाला, शस्त्र से मारने वाला, खंड-खंड करने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, लाने वाला, खाने वाला सब जीव-हिंसा के दोषी होते हैं -

अनुभन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्कर्ता चोपहंता च खादकश्येति घातकः।।

निश्चित रूप से पशुवध अधिसूचना से मांस कारोबारी और मांसाहारी समाज थोड़ा प्रभावित होगा। यह मांस-आपूर्ति के वैध रास्तों पर न सही, अवैध तरीकों पर सीधे-सीधे असर डालेगी। वस्तुतः इसका उद्देश्य पशु बाजार को थोड़ा सुव्यवस्थित करना है; पशुवध को सर्वदा और सर्वथा तो कदापि नहीं, पर अवैध खरीद-बिक्री से गुलजार कत्लखानों पर नियंत्रण लाना है। कौन नहीं मानता कि बूचड़खाने के आसपास रहना, वहाँ से होकर गुजरना कितना दुर्भर व नारकीय होता है। कसाईगिरी और बूचडख़ाने अपनी प्रकृति में सदैव अमानुषिक ही होते हैं, लेकिन यहाँ कानूनी और गैरकानूनी का अंतर करना पड़ता है। मोदी व योगी सरकार ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है, जिससे हिंदुत्व या रामराज्य की परिकल्पना साकार होने का हौवा खड़ा हो। रामराज्य के प्रणेता श्रीराम ने जब राक्षसों द्वारा खाए गए लोगों के अस्थि-अवशेषों को देखा तो आहत हुए। तुलसीदास लिखते हैं -

अस्थि समूह देखि रघुराया।
पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया।।
निसिचर निकर सकल मुनि खाये।
सुनि रघुबीर नयन जल छाये।।

फिर तो जीवभक्षियों से धरती को मुक्त कराने का प्रण ही ले लिया -'निसिचर हीन करउँ महि, भुज उठाई प्रन कीन्ह।' माना कि मुनि पशु नहीं थे, लेकिन सनातनी परंपरा में जिन दस अवतारों की प्रमुखता है, उनमें तीन मत्स्य-मछली, कच्छप-कछुआ, वराह-सूअर तो पूरे-पूरे पशु और चौथे नरसिंह आधे पशु ही हैं। इसी प्रकार विष्णु का वाहन गरूड़, शिव का बैल, लक्ष्मी का उल्लू, सरस्वती का हंस, दुर्गा का सिंह, शिव के अंश भैरव का कुत्ता, इन्द्र का हाथी, यमराज का भैंसा, सूर्य का घोड़ा, गणेश का चूहा, अग्नि का भेंड़, वरुण का मत्स्य आदि मनुष्येतर प्राणी ही हैं। कपि हनुमान देव रूप में पूज्य हैं ही। गाय, सर्प, मोर, साल मछली आदि की अनेक स्थानों पर पूजा-अर्चना प्रचलित है। महाराणा प्रताप का घोड़ा भी दैवी शक्ति से कम कहाँ था, श्याम नारायण पांडेय के शब्दों में -'सामने पड़ी नदी अपार-/राणा ने सोचा इस पार/तब तक चेतक था उस पार।' कहने वाले इन सबको अंधविश्वास, कपोल कल्पना कह सकते हैं; किंतु अब स्थिति ऐसी बन गई है कि किसी मनुष्येतर प्राणी में अद्भुत शक्ति का भी प्रादुर्भाव हो, तो लोग उसके मांस का स्वाद ही जानना चाहेंगे! वह दंड देने की

स्थिति में होगा, तभी उसकी पूजा होगी, अन्यथा नहीं। आखिर क्यों आदमी को बकरी, बकरा, खरगोश, गाय, मुर्गा, कबूतर आदि का ही मांस प्रिय लगता रहा है; हाथी, बाघ, शेर, बाज, चील का नहीं? शायद इसलिए, क्योंकि शक्तिशालियों के शिकार में खुद उसे अपनामांस देना पड़सकता है।

धर्म के नाम पर बलि देने और प्रसाद रूप में मांस ग्रहण करने की कुप्रथा पुरानी है। जीव-जंतुओं का ही नहीं, नरबलि देने का उल्लेख पुराणों में और उदाहरण समाज में मिलते रहे हैं। उल्लेख होने का अर्थ यह नहीं कि वह उचित ही हो या उस समय का ट्रेंड भी हो, अपवाद एवं विकृति का भी उल्लेख होता है। दूसरी ओर, सभी जीवों में ईश्वरीय उपस्थिति बताकर जीव-हत्या को पूर्णतः निषिद्ध भी तो किया गया है -'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः।' जैन मत में जीव-हत्या के प्रति संजीदगी श्लाघनीय है। 'ब्रह्मपुराण' में आजीवन निरामिष रहने को सौ गोदान के बराबर कहा गया है।

गाय के साथ हिंदू आस्था जुड़ी है, नहीं तो जो बिल्कुल मांस नहीं खाते, उनके लिए सारे प्राणियों के मांस एक जैसे ही होते हैं? नहीं, उनकी भी गोमांस के प्रति अधिक वितृष्णा होती है। बृहत्तर हिंदू समाज में गोमांस सर्वाधिक वर्जित पदार्थ के तौर पर हराम है, जिसकी तुलना किसी दूसरे अखाद्य पदार्थ से नहीं की जा सकती। मांस मांस सब एक हो या न हो, पर मांस मांस तो है ही। संभवतः इसी कारण मानवमांसभक्षियों की जमात भी अस्तित्व में रही है, भले ही हिंदी कवि कहते रहें कि -

आदमी का आदमी करेगा क्या?
आदमी तो खुद ही है खाऊ
भले ही तो बिकाऊ भी हो,
वह तो किसी के किसी भी काम आता नहीं
उसका तो मांस कोई खाता नहीं,
चमड़े से जूता बनाता नहीं,
हड्डी से बेंट भी लगाता नहीं,
लहू हो लाल चाहे जितना भी,
डिनर वक्त काम आता नहीं।

(रमाकांत पाठक : हरिश्चन्द्र घाट)

भारत में अघोरी लोग श्मशान घाट पर मानव-लाशों का मांस खाते हैं, अन्य तरीकों से उसका जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। फिजी देश को कभी नरभक्षी द्वीप के नाम से ही जाना था। वैसे आजकल मनुष्य का मांस सब जगह प्रतिबंधित है, फिर भी मानव-मांस खाने के आरोप में दुनिया भर में बहुत सारे लोग जेल की सजा काट रहे हैं, अनेक फाँसी पर भी लटकाए गए। इनमें कुछ ने स्वीकारा है कि आदमी का मांस स्वाद में बेजोड़ होता है। निठारी कांड में मानव-मांस-भक्षण की बात भी चर्चा में रही है। पियर्स पॉल रीड ने सन् 1974 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'अलाइव : द स्टोरी ऑफ द एंडिज सरवाइवर्स' में विमान दुर्घटना में लैटिन अमेरिकी कॉलेज टीम के जीवित बचे सदस्यों द्वारा मृत यात्रियों के मांसभक्षण का प्रामाणिक जिक्र किया है। 13 अक्टूबर से 22 दिसंबर, 1972 को राहत पहुँचने तक वे ऐसे ही जीवित फँसे रहे। सभी देशों में नरभक्षण को लेकर तरह-तरह की लोककहानियाँ प्रचलित हैं।

पक्ष और विपक्ष में सैकड़ों तथ्य-तर्क के साथ मांसाहार मनुष्य की रुचि, स्वाद व आहार से अभिन्नतः जुड़ गया है, 'मांस बिना सब घास रसोई' की सोच बन गई है। समाज इतना आधुनिक बन चुका है कि कैसे उसे मांस, मछली, अंडा, शराब खाने-पीने से रोका जा सकता है? किंतु शराब सहित अन्य नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध जहाँ-तहाँ लगाना पड़ता है। मांसाहारी लोगों का तर्क है कि हूक-हाय किस चीज में नहीं है। दही में कीड़े होते हैं भले ही वे साधारण दृष्टि से न दिखें। दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधन वाले उत्पादों में भी जीव-जंतुओं पर क्रूरता करके बनी चीजों का इस्तेमाल होता है, साग-सब्जी, फल-फूल तो सजीव ही हैं। अंडा को शाकाहार मानने वाले भी कम नहीं हैं, पर यह पक्षी-भ्रूण के सिवा दूसरा कुछ भी

नहीं है। इसी प्रकार की प्रगतिशीलता के दूसरे ढंग का स्वर बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की कविता में पठनीय है -

हर पत्थर भगवान यहाँ का, हर पंडा पैगंबर है,
गाय यहाँ माता बन पुजती अब बकरी का नंबरहै।
यह ऋषियों का देश, घुली है भंग यहाँ के पानीमें,
नरकों का मनहूस बुढ़ापा, मिलता भरी जवानी में।

बात कविता में कही गई है, अतः अंतर्मन में प्रगति चेतना जगती है; नहीं तो गाय और बकरी को एक ही श्रेणी का कहना दंगा भड़काने जैसा है। कविता की शक्ति है कि जो बात गद्य के माध्यम से नहीं कही जा सकती, उसे ही कहने के लिए कविता करने की जरूरत पड़ती है। अस्तु, बकरी कमजोर प्राणी है, उसका मांस स्वादिष्ट है, इसलिए उस पर अत्याचार होना ही चाहिए - यह कहाँ का न्याय है? यहीं अकबर बीरबल की कहानी याद आती है। एक बार अकबर ने बीरबल को एक बकरी देकर कहा कि अब तक वह रोजाना जितना खाती रही है, उससे दुगना आहार खिलाने का यत्न किया जाए, किंतु आठ-दस दिनों के बाद भी उसका वजन तनिक भी नहीं बढ़ना चाहिए। बीरबल बकरी लेकर आए, वायदे के अनुसार उसे दुगुना आहार देने लगे और रात्रि के समय उसके सामने एक कसाई को बड़ा छुरा देकर बैठा दिया करते। दिन भर मस्ती से खाकर बकरी जितना वजन बढ़ाती, रात में कसाई के हाथ में हथियार की चमक देख-देखकर गमगीनी में उतना वजन कम हो जाता था।

आदमी की तरह जानवरों के कमजोर, अस्वस्थ, अनुपयोगी हो जाने पर भी किसी को मारने का अधिकार नहीं मिल जाता। फिर बलप्रयोग उतना ही उचित है, जितना न्यनूतम जरूरी हो। 'महाभारत' में एकलव्य के विद्याभ्यास के दौरान हस्तिनापुर के कुत्ते ने जब भौंककर तंग करना शुरू किया, तब एकलव्य ने इस प्रकार प्रहार किया, जिससे कुत्ता सही-सलामत भी रहा और उसका भौंकना भी तत्क्षण बंद हो गया। 'भारत भारती' में इसका सजीव चित्रण है-

मुँह खोल कुत्ता भौंकने को, बंद ही जब तक करे,
भर जाए मुख तूणीर-सा पर क्या मजाल कि वह मरे।

बहरहाल, कृषि, व्यवसाय, उद्योग, रोजगार, लौकिक रीति-नीतियों, धार्मिक विश्वासों, पर्यावरण इत्यादि से पशुधन को सीधे सन्नद्ध रखकर पशुवध पर अकुंश लगाना नितांत आवश्यक है, धीरे-धीरे इसका दायरा व्यापक किया जा सकता है। फिलहाल अधिक प्रतिबंध लगाने की बजाय परामर्श एडवाजरी और प्रचार-प्रसार द्वारा शाकाहार को प्रोत्साहित करना उचित है। कानून सख्ती से लागू करके, पशुवध की वैधता-सीमा संकुचित करके, मांस-मछली निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर तथा मांसाहार उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर परोक्ष रूप से मांसाहार मुक्त समाज बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सकता है।

भगवद्गीता के अनुसार, रसयुक्त, स्निग्ध, लंबे वक्त तक प्रभावित रखने वाला, मन को प्रिय भोजन सात्त्विक है -'रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः।' कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक भोजन राजसी हैं और दुख, चिंता, रोग बढ़ाने वाले बासी, अधपके, दग्ध, अपवित्र आहार तामसी हैं। इस प्रकार मद्य, मांस, मछली, अंडा सब राजसी-तामसी की श्रेणी में आते हैं, इनसे मन-मिजाज भी वैसा ही बनता है। फल, अन्न, दुग्ध उत्पाद वाला शुद्ध-ताजा शाकाहार आत्मा, मन, बुद्धि, धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य, सौंदर्य की दृष्टि से उत्तम है। यह सब भी जीने के लिए न्यूनतम खाया जाए, न कि खाने के लिए जिया जाए। सात्त्विक, उपयोगी व पौष्टिक ही स्वादिष्ट लगे - इसकी रुचि व विवेक बनाना तथा भोजन के बंदोबस्त में दूसरों को न्यूनतम कष्ट हो - इसका ख्याल रखना भी जरूरी है।